

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

श्री त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही, स्थाई पता: होटल सरस्वती, टैक्सी स्टेण्ड के सामने, पोलों ग्राउण्ड रोड़, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

F.S.S.Act Case No. 60/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

प्रतिवादी त्रिलोक जानी

—: निर्णय :—

दिनांक 08 अक्टूबर, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 01-5-2025 को मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का नमूना संख्या S-2684 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./730/Act/2025/730 दिनांक 22-5-2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08-10-2025 को प्रतिवादी त्रिलोक जानी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया, जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08-10-2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विधि अनुरूप निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 01-5-2025 को 12-15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी, जाति- ब्राह्मण, निवासी- पोलों ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही के अन्दर एक डीप फ्रीज में एक भिगोने में 2 (दो) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर, आमजन के उपयोग हेतु सब्जियां व स्नेक्स बनाने हेतु रखे हुए पाया, जिनमें मिलावटपेज दो पर



धरि. जिला मजि
सिरोही-30706

....पेज दो पर

का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही के अन्दर एक डीप फ्रीज में आमजन के सब्जियां व स्नेक्स बनाने हेतु एक भिगोनें में रखे हुये 2 (दो) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- (रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम पनीर को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मलीन की 20-20 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-2684, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी त्रिलोकन जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर के चारों नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पनीर की चारों नमूना शीशीयों को अलग-अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करके समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां, दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 02-5-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 01-5-2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2684 की प्राप्त विश्लेषण

Ludh पेज तीन पर

प्रति. जिला अधिकारी
सिरौही-307001.



जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./730/Act/ 2025/730 दिनांक 22-5-2025 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2684) के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्री त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही, स्थाई पता: होटल सरस्वती, टैक्सी स्टेण्ड के सामने, पोलों ग्राउण्ड रोड़, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, श्री त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स भिखी भोजनालय, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय/आदेश सुनाया गया।

Luks

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)

